A 18 - ALL FIRST Chass

Case No. 89///61 20

Date of order of Proceeding

司

Order or Proceeding with Sugnature of Presiding Officer Signature of THE RUNAL PROPERTY.

Parties of pleaders where Necessary

16517 आज आरक्षी केन्द्र जाहर के चुपनिरीक्षक (सहायक) उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक . 219.15 क0 112 3 हारा थाना प्रभारी की ओर से अपराध। क0 65/17 अंतर्गत धारा उप आया कारी जिंदी :भा०दं०सं० / ..... अधिनियमके अधीन् दण्डनीय। अपराध के संबंध में अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ० श्री. इस्ति का रिक्ट रकार, उप०।

अभियुक्त / अभियुक्तगण अराव- दे 510 र धुनार्ग रखरीक

थाना जाहरू जिला भित्रका राज्य रेग प्र 'उपरिधत। अभियुक्त / अभियुक्त । ण की ओर से अधिवक्ता श्री द्वारा गेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तृत ंकिया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेल के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उंपरोक्तानुसार । भारदंग्सं० / 3.43 अधीन के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 190-(1) द०प्र०स० के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पजी.......में दर्ज किंया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द०प्र०स० की धारा २०७ के अधीन प्रावधानों। के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजो की पठनीय प्रति निः शुल्क दिलायी जाय।

चूंकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण। की ओर से 7000 / - (सात हजार रूपये) की प्रतिभूति व इतनी ही राशि। का व्यक्तिगत बंधपंत्र प्रस्तुत किया जाये तो अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त। किया जाये।

चूकि मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अत संक्षिप्त विचारण प्रास्म किया गया। अभियुक्त / अभियुक्त गण के विरूद्ध धारा उप प्राप्त कि भावदेवरा कर अभियुक्त अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरवित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छ्या स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टिकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अविध के दण्ड एवं किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की उश्च दण्ड से दिवस को साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली

जाये।

जप्तसुदा संपत्ति २२ विश्वादि स्वित ति से नष्ट कर किये जाये। संपृत्ति २२ विश्वादि स्वित्व की नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटायां, जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अविध में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> Judicial magistrate first class, Gohada Dist. Bhind (M.P)

पुनश्चः

निर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्त गण ने अर्थदण्ड की राशि। 500/ रूपये अदा की जिसकी पावती बुक क0. 690 रसीद क0. 29 दी गई।

अभियुक्त / अभियुक्तगण को राजा भुगताई गई।

प्रकरणं तपरांचल निर्देश अनुसार संचित हो।

Judicial magistrate first class.

Gohad Dist Blind(M.P)